न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः– 32 / 2023 अपील (राजस्व)

GCMS No 2023/56

कन्ना डांगी पिता उदा जी डांगी निवासीः मनवाखेड़ा, सेक्टर–4, हिरण मगरी, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला–उदयपुर

.....विपक्षी

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर, दिनांक 21.11.2022 (विरासत के आधारपर नामांतरकरण करवाने बाबत)

उपस्थितः 1. श्री गिरधारी लाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 23/09/2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार गिर्वा दिनांक 21.11.2022 अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव मनवाखेड़ा, पटवार मंडल कलड़वास, तहसील–गिर्वा, जिला–उदयपुर के आराजी संख्या 1222 / 2396 रकबा 0.2000 हैक्टेयर होकर अपीलार्थी कन्ना के स्व. पिता उदा पुत्र देवा डांगी के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम से दर्ज होकर चली आ रही है जिस पर अपीलार्थी अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज होकर कृषि करता आ रहा है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 30.07.2004 को हो गई थी। उसके बाद अपीलार्थी द्वारा पटवारी मनवाखेड़ा को विरासत से अपने नाम नामांतरकरण खुलवाने हेतु स्व. उदा जी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की, जिस पर पटवारी द्वारा उपरोक्त अनुसार अपीलार्थी कन्ना के नाम पर नामांतरकरण कर दिया किन्तु पटवारी द्वारा दिनांक 14.10.2022 को एक रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत कर न्यायालय में विवाद होने की टिप्पणी करते हुए नामांतरकरण को निरस्त किये जाने का लेखन किया जिस पर दिनांक 18.11.2022 को निरीक्षक द्वारा पटवारी रिपोर्ट को उचित मानते हुए नामांतरकरण निरस्त करने का अंकन कर दिया जिस पर तहसीलदार गिर्वा द्वारा पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं

जिला कलक्टर
उदयपुर

जांच भू अभिलेख निरीक्षक की प्रविष्टि के आधार पर नामातंरकरण संख्या 3424 दिनांक 14.10.2022 को निरस्त करने का आदेश दिनांक 21.11.2022 को देकर अपीलार्थी के नामांतरकरण को निरस्त कर दिया। अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार गिर्वा का आदेश दिनांक 21.11.2022 को निरस्त कर आराजी नम्बर 1222/2396 का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के नाम दर्ज करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण निरस्त करने की जो टिप्पणी की गई उसमें कोई प्रकरण संख्या या न्यायालय का नाम उल्लेख नहीं किया और केवल नामांतरकरण संख्या 3142 जो पूर्व में गलत व्यक्ति के नाम पर खोल दिया था उसका रिव्यू माननीय तहसीलदार गिर्वा द्वारा किया था उसका ही हवाला दिया है। उसका पूर्ण विवरण भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार पटवारी की रिपोर्ट न्यायिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होती है। कन्ना डांगी के नाम विरासत से उक्त भूमि अपने पिता उदा की मृत्यु होने के पश्चात् स्वयंमेव नामांतरकरण होकर कन्ना के नाम पर आ जानी चाहिये थी, परन्तु बिना किसी कारण के पटवारी द्वारा अपीलार्थी के नाम का नामांतरकरण निरस्त कराया गया है जो कि विधिक रूप से उचित नहीं होने से तहसीलदार गिर्वा का आदेश दिनांक 21.11.2022 निरस्त होने योग्य है। आराजी संख्या 1222/2396 का नामांतरकरण विरासत से स्व. उदा डांगी के नाम से कन्ना डांगी के नाम पर किया जाना विधि सम्मत होकर अपीलार्थी कन्ना डांगी का विधिक अधिकार है। पूर्व में कुछ लोगों द्वारा एक ही नाम होने का फायदा उठाकर अपीलार्थी के पिता की उक्त भूमि को खुर्द–बूर्द करना चाहा जिस पर अपीलार्थी के पुत्र द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 484/2016 दिनांक 22.09.2016 को दर्ज करवाई गई जिस पर पुलिस थाना हिरणमगरी द्वारा फर्जी बने उदा उसके पोत्र राजेश एवं रोशनलाल को हिरासत में लिया एवं उन्हें जेल में जाना पड़ा तथा उनके विरूद्ध अंतर्गत धारा 419, 420, 420–बी आईपीसी में पुलिस ने चालान पेश किया और इसी कारण पूर्व में नामांतरकरण संख्या 3142 को तहसीलदार गिर्वा द्वारा रिव्यू कर पुनः उदा पुत्र देवा के नाम पर जो की अपीलार्थी के पिता है रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज कर दिया तथा कन्ना डांगी पिता स्व. उदा जी डांगी के नाम पर विरासत से नामांतरकरण किये जाने को रोकने का कोई आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के नाम पर नामांतरकरण कर पुनः निरस्त करना विधिक रूप से गलत एवं अनुचित है। यह कानून एवं विधिसम्मत प्रक्रिया है कि पिता की मृत्यु के बाद विरासत से पुत्र के नाम कृषि भूमि का नामांतरकरण किया जाता है जबकि यहां पर अपीलार्थी के नाम नामांतरकरण करके बिना किसी उचित कारण के पुनः निरस्त कर दिया है जो कि विधिक रूप से उचित नहीं है। अतः श्रीमान से

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
उदयपुर

निवेदन है कि अपीलार्थी कन्ना डांगी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार गिर्वा का आदेश दिनांक 21.11.2022 को निरस्त घोषित कर आराजी संख्या 1222/2396 का नामांतरकरण कन्ना डांगी पिता उदा डांगी के नाम पर खोले जाने/रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मनवाखेडा पटवार मण्डल कलडवास का आराजी संख्या 1222/2396 का बिकाव का नामान्तरकरण 3142 रिव्यू किया गया क्योंकि विक्रय पत्र का न्यायालय मे निर्णय नही हो सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 3424 दिनांक 14.10.2022 का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई कि "**आराजी संख्या 1222/2396 का बिकाव का नामान्तरकरण 3142 रिव्यू हो चुका है विक्रय पत्र का न्यायालय मे निर्णय नही होने से उक्त विरासत का नामान्तरकरण निरस्त किया जाना उचित है।**" इसी रिपोर्ट के आधार पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा **रिपोर्ट पटवारी नामान्तरकरण निरस्त किया जाना उचित है** की टिप्पणी की गई एवं उक्त दोनो टिप्पणी के आधार पर तहसीलदार गिर्वा द्वारा **नामान्तकरण की प्रस्तावित प्रविष्टि निरस्त की गई है।** पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि उदा पुत्र देवा की मृत्यु पश्चात उसके विधिक वारिसानो के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत था, किन्तु पारित नामान्तकरण में विक्रय पत्र का न्यायालय में निर्णय नही होने का अंकन करते हुए विरासत का नामान्तरकरण निरस्त की गई है। उक्त नामान्तरकरण किन नियमों/प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किया गया है, इसका अंकन नही है। प्रकरण किस न्यायालय में विचाराधीन था, प्रकरण संख्या एवं विक्रय पत्र के सम्बन्ध में भी कोई विवरण नामान्तरकरण पर उपलब्ध नही है एवं स्थगन के सम्बन्ध में भी कोई स्थिति स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति में स्वर्गीय उदा के विधिक वारिसानों की जांच उपरान्त नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्वर्गीय देवा के विधिक वारिसानों की जांच करे, यदि किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एक माह में नियमानुसार विधिक वारिसों के नाम फौतदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।
पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर